भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2725

दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ

पेसा अधिनियम, 1996 के बारे में जागरूकता

†2725. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई राज्यों द्वारा हाल ही में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, परन्तु कई ग्राम सभाओं को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है;

(ख) वर्ष 2021 के पश्चात् पेसा अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(ग) ग्राम स्तर पर इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोई क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा पेसा अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अलग से बजटीय सहायता आवंटित की गई है; और

(च) पेसा प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की निगरानी के लिए सरकार द्वारा स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड(4)(ख) के अनुसार, संविधान के भाग-IX के प्रावधानों को, कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसा) अधिनियमित किया। वर्तमान में, 10 राज्यों, जो की

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना है, में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र मौजूद हैं।

राजस्थान को छोड़कर नौ पेसा राज्यों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है। दसवें राज्य, राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 अधिसूचित किया है। वर्तमान में, आठ पेसा राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने पेसा नियम बना लिए हैं और दो राज्यों-ओडिशा और झारखंड ने अपने पेसा नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है।

तदनुसार, इन पेसा राज्यों ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करने से संबंधित अपने राज्य पेसा नियमों में प्रावधान किए हैं।

हाल ही में मंत्रालय ने "पेसा की पहल: सशक्तता और स्वशासन की कहानियाँ" शीर्षक से एक संकलन, जो 24 जुलाई, 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था, को प्रकाशित किया है| इस संकलन में सभी 10 पेसा राज्यों की 40 सफलता की कहानियां शामिल हैं।

(ख) 2021 के बाद, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने क्रमशः 08.08.2022 और 15.11.2022 को अपने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, दो राज्यों-ओडिशा और झारखंड ने भी क्रमशः 10.11.2023 और 26.07.2023 को ड्राफ्ट पेसा नियम बना लिए हैं|

(ग) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। तदनुसार, ग्राम स्तर पर इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, पेसा प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की निगरानी करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

हालांकि, ग्राम स्तर पर पेसा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से, पेसा विषयों पर प्रत्येक प्रशिक्षण मैन्युअल- ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण; लघु वन उपज; लघु खनिज; विवाद समाधान का प्रथागत तरीका; धन उधारी पर नियंत्रण; नशीली दवाओं की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित और विनियमित/प्रतिबंधित करना; और भूमि के अलगाव की रोकथाम, पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए सात प्रशिक्षण आयोजित किए हैं| मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रमुख पेसा विषयों पर सात प्रशिक्षण मैन्युअल और पेसा ग्राम विकास योजना विकसित करने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल की शुरूआत की है। मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) में पेसा पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का भी गठन किया है। इस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पंचायती राज मंत्रालय, मध्य प्रदेश के पंचायती राज विभाग और

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के बीच 24 जुलाई 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र का मार्गदर्शन करने के लिए एक कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड (पीएबी) का गठन किया है। कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के क्षमता निर्माण, परंपरागत कानून और प्रथाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा संस्थागत समर्थन और अनुसंधान को मजबूत करने आदि पर उत्कृष्टता केंद्र को सलाह देना है।

मंत्रालय ने 01.04.2022 से 31.03.2026 (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-समाप्त) तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय सहभागी शासन को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में पेसा राज्यों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय राज्यों को शासन के अधिकारों, पारंपरिक कानूनों और विकास योजना की समझ बढ़ाकर जनजातीय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता कर रहा है। ये प्रयास कानूनी जागरूकता, सहभागी निर्णय लेने, नेतृत्व विकास और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण पर केंद्रित हैं।

इस योजना के तहत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मानदंडों के अनुसार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए पेसा राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की गई है। पेसा अधिनियम के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से कोई अलग बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, लेखशाला आदि के माध्यम से पेसा प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है। हाल ही में, मंत्रालय ने पेसा अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक समान दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से 11 और 12 जनवरी, 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में तथा 4 और 5 मार्च, 2024 को रांची, झारखंड में दो क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में पेसा अधिनियम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया है। 13 और 14 मई 2025 को पुणे में एक राष्ट्रीय पेसा लेखशाला भी आयोजित किया गया है।

****